

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 80/2016

श्री पप्पू पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी ग्राम हाउसिंग बोर्ड ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....रेस्पोंडेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 81/2016

श्री भंवर पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी ग्राम हाउसिंग बोर्ड ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....रेस्पोंडेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 82/2016

श्री पन्ना पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी ग्राम हाउसिंग बोर्ड ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....रेस्पोंडेन्ट



**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956**

- उपस्थित :-**
1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

:- आदेश :-

दिनांक 20.02.2017

उपरोक्त तीनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2072 में श्री पप्पू पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी हाउसिंग बोर्ड ग्राम नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ने ग्राम नान्दला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल गेहूँ, श्री भंवर पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी हाउसिंग बोर्ड ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ने ग्राम नांदला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 870 रकबा 0.29 खसरा नम्बर 871 रकबा 0.20 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल गेहूँ व इसी प्रकार श्री पन्ना पुत्र श्री रामसिंह जाति चीता निवासी हाउसिंग बोर्ड ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ने ग्राम नान्दला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 878 रकबा 0.11 व 887 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल गेहूँ काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध क्रमशः राजस्व प्रकरण संख्या 89/2016, 90/2016 व 91/2016 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.02.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.02.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 15.02.2016 को उन्हें उपस्थित होकर जवाब/सबूत पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। निश्चत दिनांक को अपीलान्ट की ओर से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश करने हेतु समय दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध कर उसी दिन आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो जवाब, सबूत पेश करने का अवसर दिया गया न ही पटवारी से जिरह करने का ही कोई अवसर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनैतिक दबाव में आकर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ओर तो विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काशत करने पर कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है वहीं



श.प.र. कलक्टर
अजमेर

दूसरी ओर विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से इबादतगाह (मदरसा) निर्माण कर उनके विरुद्ध दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 108 के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय धारा 91 की आड़ में मस्जिद को हटाने पर आमादा है। उनका आगे कथन है कि अपीलान्त द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजनैतिक दबाव में द्वेषतापूर्वक प्राथमिक स्तर पर ही वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने अन्त में कथन किया कि जब तक राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन दावे का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही स्थगित रखी जावे तथा अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर फसल गेहूं काशत कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त आदतन अतिचारी है। उन्हें संवत् 2070 व 2071 में भी विवादित भूमि से बेदखल किया गया था। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को दिनांक 15.02.2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था, निश्चित दिनांक को अपीलान्त जरिये वकील उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रार्थना पत्र को नजरअंदाज कर हल्का पटवारी के एकतरफा बयान दर्ज कर आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ओर तो विवादित भूमि पर अनाधिकृत फसल गेहूं काशत करने पर धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है वहीं दूसरी ओर विवादित भूमि पर अवैध मस्जिद(मदरसा) निर्माण करने पर उपजिला मजिस्ट्रेट नसीराबाद के न्यायालय में धारा 108 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की जा रही है जो अपने आप में विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त अपीलान्त के कथनानुसार उनके द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के न्यायालय में विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलान्त आदेश न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर




अध्याक्षक
अजमेर

अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन अपील व धारा 108 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के परिपेक्ष्य में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
अपर क्लर्क,
अजमेर